संख्या-70/2020/1687/छप्पन-2020-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020

विषय: राजकीय Bell 412EP, VT-UPO हेलीकाप्टर के 03 कम्पोनेन्ट्स के 3000 घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल कराए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-264/CADUP/ENG(PUR)/UPO-04/2020 दिनांक 17 सितम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP, VT-UPO लगभग 2904:00 उड़ान घण्टे पूर्ण कर चुका है तथा हेलीकाप्टर की अनुमोदित 'Aircraft Maintenance Programme' (AMP) के अनुसार, 3000 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर Transmission Assembly, part no. 412-706-029-172' Sl. no. A-696, Qty. 01 एवं Rotor Brake Quill, part no. 412-040-123-103, SIno. A-1968, Qty. 01 तथा Main Drive Shaft, part no, 412-040-005-103, Sl. no. A-650, Qty. 01 के कुल 03 कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल ड्यू हो रहा है। अत: श्री राज्यपाल उक्त ओरवहालिंग का कार्य हेलीकाप्टर निर्माता कम्पनी M/s Bell Textron, Inc' की सहयोगी (Subsidiary) D.G.C.A. (भारत सरकार) द्वारा अनुमोदित फर्म M/s. Able Engineering & Component Services, Inc. 7706 Velocity Way Mesa, AZ 85212, U.S.A. से प्राप्त कोटेशन दिनांक 13 जून, 2020 के अनुसार कराये जाने हेतु कुल यू0एस0 डॉलर 86800.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति यू. एस. डालर की विनिमय दर से रूपये 67,70,400/- (रूपये सड़सठ लाख सत्तर हजार चार सौ मात्र) तथा उक्त धनराशि का भुगतान साख पत्र से किये जाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में साख पत्र खोले जाने हेतु लेटर आफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपये 6,77,040/- को सम्मिलित करते हुए बैंक चार्जेज सहित कुल रूपये 74,47,440/- (रूपये चौहत्तर लाख सैतालिस हजार चार सौ चालिस मात्र) तथा पुर्जों के निर्यात एवं पुर्नआयात पर होने वाले अनुषांगिक व्यय जैसे ड्यूटी तथा फ्रेट हेतु लगभग रूपये 32,70,249/- का व्यय सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 1,07,17689/- (रूपये एक करोड़ सात लाख सत्रह हजार छ: सौ नवासी) मात्र को व्यय/अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में निर्माता कम्पनी को वायर ट्रान्सफर के माध्यम से किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकड़ों में किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी।

5- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन तथा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/ नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

10- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

12- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

13- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

14- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-1011/दस-2020 दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या: 70/2020/1687(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।